गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009, No.25 of 2009)

KONI, BILASPUR-495 009 (C.G.) INDIA, कोनी बिलासपुर 495 009 (छ०ग०) भारत

Tel. - +91-7752- 260342, 260221 Fax - +91-7752- 260154, 260148, website - www.ggu.ac.in

क्रमांक 170 /अकादमी/2019 बिलासपुर, दिनांक- 04/07/2019

4 JUL 2019

परिपत्र

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में VET 2019-20 के माध्यम से जारी प्रवेश प्रक्रिया हेतु विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष EWS वर्ग के रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु विशेष काउंसिलिंग का आयोजन दिनांक 12.07.2019 को करेंगे ।
2. उक्त काउंसिलिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के ऐसे आवेदक जिन्होंने आवेदन करते समय EWS वर्ग का उल्लेख किया है या नहीं किया है, परन्तु काउंसिलिंग के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष ऐसे आवेदकों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के आवेदक मान्य करते हुए उनकी मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे ।
3. विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों के लिए आवेदन स्थानातरण की कार्यवाही भी दिनांक 12.07.2019 से 13.07.2019 तक कराया जाना है ।

   इस प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए VET के अंतर्गत आवेदन किया है तथा उनका उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं हो सका है तथा वे विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है एवं जहाँ सीटें रिक्त हैं, में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो इस हेतु आवेदक सादे कागज पर अनुरोध लिखते हुए, अपना मूल आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज संलग्न करते हुए, वांछित पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

   आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदकों की प्रावीण्यता सूची संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर जारी किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को दिनांक 14.07.2019 या 15.07.2019 को प्रवेश प्रदान किया जायेगा ।
4. प्रवेश प्रक्रिया की सभी कार्यवाही पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार प्रवेश समिति के माध्यम से ही संपन्न किया जायेगा ।

आदेशानुसार

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ ।
2. समस्त अधिष्ठातागण एवं विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सूचनार्थ ।
4. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सूचनार्थ ।
5. समन्वयक, आई. टी. प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सूचनार्थ एवं वेबपटल पर जारी किये जाने हेतु ।
6. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव, अकादमी